



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी में ओ०पी०डी०/वार्ड/बर्न वार्ड/लेबर रूम/आकस्मिक विभाग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ओ०टी० ब्लॉक एस०एनसी०यू०, सी०पी०एल० सेन्टर, टी०बी० एण्ड चेस्ट, चर्मरोग एवं कैंसर विभाग में फायर फाइटिंग, फायर अलार्म एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०/निर्माण/2026-27/249, दिनांक 20.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उक्त कार्य हेतु टेण्डर लागत उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-19/2026/1/1232832/ 2026/71-1002(099)/14/2025, दिनांक 10.01.2026 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी में ओ०पी०डी०/वार्ड/बर्न वार्ड/लेबर रूम/आकस्मिक विभाग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ओ०टी० ब्लॉक एस०एनसी०यू०, सी०पी०एल० सेन्टर, टी०बी० एण्ड चेस्ट, चर्मरोग एवं कैंसर विभाग में फायर फाइटिंग, फायर अलार्म एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत ₹0 100.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना की सम्पूर्ण धनराशि ₹0 100.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी में ओ०पी०डी०/वार्ड/बर्न वार्ड/लेबर रूम/आकस्मिक विभाग में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एवं ओ०टी० ब्लॉक एस०एनसी०यू०, सी०पी०एल० सेन्टर, टी०बी० एण्ड चेस्ट, चर्मरोग एवं कैंसर विभाग में फायर फाइटिंग, फायर अलार्म एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 10.01.2026 द्वारा अनुमोदित लागत ₹0 100.18 लाख को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में टेण्डर लागत ₹0 96.40 लाख (₹0 छियानबे लाख चालीस हजार मात्र) के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
 2. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
 3. यदि प्रश्नगत परियोजना में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी/कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
 5. शासनादेश संख्या-19/2026/1/1232832/2026/71-1002(099)/14/2025, दिनांक 10.01.2026 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी।
7. आयुक्त, उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।